रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 337] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 26, 1976/श्रावण 4, 1898
No. 337] NEW DELHI, MONDAY, JULY 26, 1976/SRAVANA 4, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

CABINET SECRETARIAT

(Department of Personnel and Administrative Reforms)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 26th July 1976

S.O. 495(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946), the Central Government hereby specifies the following offences as the offences which are to be investigated by the Delhi Special Police Establishment, namely:—

(a) Offences punishable under sections 121, 121-A and 122 of the Indian Penal Code, (45 of 1860);

(b) attempts, abetments and conspiracies in relation to, or in connection with the offences mentioned in clause (a) above and any other offence committed in the course of the same transaction arising out of the same facts.

[No. 228/11/76-AVD II]

मंत्रिमण्डल सचिवालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 1976

का० आ० 495(अ) —दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का 25) की धारा 3 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित अपराधों को ऐसे अपराध निर्धारित करती है, जिनका अन्वेषण दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना द्वारा किया जाना है, अर्थात् :—

(क) भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 121, 121-ए तथा 122 के अधीन दण्डनीय अपराध।

(ख) उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित अपराधों के सम्बन्ध में या उनसे सम्बन्धित प्रत्यनों, दुष्प्रेरणों और षडयन्त्रों तथा उन्हीं तथ्यों से उत्पन्न हुई वैसी ही कार्यवाही के दौरान किया गया अन्य कोई अपराध।

[सं० 228/11/76–ए० वी० डी०–II]

S.O. 496(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946), the Central Government hereby specifies the following offences as the offences which are to be investigated by the Delhi Special Police Establishment namely:—

(a) Offences punishable under section 431 of the Indian Penal Code, (45 of 1860);

(b) Offences punishable under section 127 of the Indian Railways Act, 1890 (9 of 1890);

(c) Attempts, abetments and conspiracies in relation to, or in connection with, one or more of the offences mentioned in clauses (a) and (b) above and any other offence committed in the course of the same transaction arising out of the same facts.

[No. 228/11/76-AVD II]

R. C. MISRA, Jt. Secy.

का० आ० 496 (अ).—दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का 25) की धारा 3 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित अपराधों को ऐसे अपराध निर्धारित करती है जिनका अन्वेषण दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना द्वारा किया जाना है, अर्थात्:—

(क) भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 431 के अधीन दण्डनीय अपराध;

(ख) भारतीय रेलवे अधिनियम, 1890 (1890 का 9) की धारा 127 के अधीन दण्डनीय अपराध;

(ग) उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) में उल्लिखित किसी एक अपराध या अधिक अपराधों के सम्बन्ध में या उनसे सम्बन्धित प्रयत्नों, दुष्प्रेरणों और षडयंत्रों तथा उन्हीं तथ्यों से उत्पन्न हुई वैसी ही कार्रवाई के दौरान किया गया अन्य कोई अपराध।

[सं० 228/12/76-ए०वी०डी०-II]

रमेश चन्द्र मिश्र, संयुक्त सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1976

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976